



मि.सं. रा.बा.भ/स्था/विविध/2024/1586

दिनांक: 14.02.2025

कार्यालय आदेश

राष्ट्रीय बाल भवन द्वारा सदस्य बच्चों के लिए संचालित की जाने वाली गतिविधियों को सुचारू रूप से चलाने के लिए राष्ट्रीय बाल भवन के खुले मैदान में आगंतुको व स्कूली बच्चों एवं अध्यापकों के बैठने व उनके द्वारा किए जाने वाले भोजन को तत्काल प्रभाव से लोकहित में प्रतिबंधित किया जाता है। भोजन आदि करने के लिए कैंटीन और सदस्यता अनुभाग परिसर को निर्धारित किया जाता है।

सभी संबंधितों से अनुरोध है कि उपरोक्त व्यवस्था का लोकहित में पालन करें।

यह सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

(मुकेश गुप्ता)

उप निदेशक (प्रशासन)

प्रतिलिपि:

- (1) निदेशक के निजी सचिव, रा0बा0भ0
- (2) उप निदेशक (प्रशासन) के निजी सचिव, रा0बा0भ0
- (3) अनुभाग अधिकारी, रा0बा0भ0
- (4) सुरक्षा अधिकारी सह केयरटेकर, रा0बा0भ0 – निदेशित किया जाता है कि उक्त आदेशों का सख्ती से पालन करवाया जाए
- (5) परामर्शदाता (इंजीनियर), रा0बा0भ0 – निदेशित किया जाता है कि चिह्नित स्थानों पर आवश्यक डिस्प्ले बोर्ड लगवाने की तत्काल व्यवस्था करें
- (6) सभी अनुभाग प्रभारी, रा0बा0भ0 को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु
- (7) सूचना पट्ट
- (8) रा0बा0भ0 की वेबसाईट